

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

-: आदेश :-

संख्या-09/पद0-05-07/2022, सा0प्र0.....¹⁷⁸⁸⁸ पटना-15, दिनांक-^{28.9}....., 2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-11336, दिनांक-24.06.2026 एवं आदेश संख्या-10893, दिनांक-18.06.2026 द्वारा बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के क्रमशः श्री अंकित राज, आशुलिपिक, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, पटना एवं श्री सत्य प्रकाश कुमार, आशुलिपिक, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, पटना को राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना में 03 माह के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

कार्यहित में श्री अंकित राज, आशुलिपिक, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, पटना एवं श्री सत्य प्रकाश कुमार, आशुलिपिक, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, पटना को राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

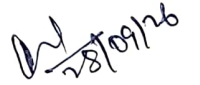


(राज किशोर तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-09/पद0-05-07/2022, सा0प्र0.....¹⁷⁸⁸⁸ पटना-15, दिनांक-^{28.9}....., 2026

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना/महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित कर्मी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

: आदेश :

सं०सं०-09/पद०-05-07/2022, सा०प्र०.....¹⁷⁸⁸⁷ पटना-15, दिनांक-^{28.9.} 2026

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-17048, दिनांक-16.09.2026 द्वारा श्री मनीष कुमार, आशुलिपिक (कोटि क्रमांक-283/2026), शिक्षा विभाग सम्प्रति प्रतिनियुक्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना को स्थानान्तरित कर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित करते हुए मुख्य सचिव कोषांग में प्रतिनियुक्त किया गया है।

कार्यहित में श्री मनीष कुमार, आशुलिपिक के स्थानान्तरण को रद्द किया जाता है एवं उनके स्थान पर श्री सोनु कुमार, आशुलिपिक (कोटि क्रमांक-427/2026), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में आशुलिपिक के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित करते हुए मुख्य सचिव कोषांग में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(राज किशोर तिवारी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-09/पद०-05-07/2022, सा०प्र०.....¹⁷⁸⁸⁷ पटना-15, दिनांक-^{28.9.} 2026

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/शिक्षा विभाग, /लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित कर्मी एवं आईटी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव